पूर्व मध्य रेल

कार्यालय,
मंडल रेल प्रबन्धक (का0)
सोनपुर

संख्या– का/207/समापक/पेंशन अदालत–23/सोन | दिनांक–17.07.2023

मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

विषय :–पेंशन अदालत दिनांक–13.09.2023 का आयोजन के संबंध मे ।

****

सेवा निवृत/मृत कर्मचारियों के आश्रितों का पेंशन से संबंधित परिवाद का निस्तारण हेतु सोनपुर मंडल स्तर पर **दिनांक 13.09.2023 को पेंशन अदालत का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक सोनपुर सभा कक्ष मे 11.00 बजे** से किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

जिसके लिए समसंख्यक पत्र दिनांक–17.07.2023 द्वारा हिन्दी में अधिसूचना जारी की गई है। जिसे पूर्व मध्य रेल के बेवसाईट www.ecr.indianrailways.gov.in (click Division)>Sonpur>Personnel)में अपलोड किया गया है एवं साथ हीं इसे मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) पूर्व मध्य रेल/सोनपुर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया है।

अधिसूचना को दैनिक अखबार में प्रकाशित किये जाने हेतु अधिसूचना (हिन्दी) की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

1. अधिसूचना दिनांक–20.07.2023 तक दैनिक अखबार में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित होगा।
2. अधिसूचना (हिन्दी) प्रति में संलग्न की जाती है।
3. अधिसूचना का प्रकाशन का व्यय लेखा शीर्ष सं0–11–215–21 से किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न अधिसूचना को दैनिक अखबार में प्रकाशित किए जाने का व्यवस्था की जाये।

संलग्नक–यथोपरि।

17/7/23

(चन्द्र किशोर)
सहायक कार्मिक अधिकारी–।
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का0)/सोनपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सभी कर्मचारी कल्याण निरीक्षक/ सोनपुर मंडल, कृपया उपरोक्त का प्रचार– प्रसार अपने संबंधित [illegible] कराने की व्यवस्था की जाये ।
2. मंडल मत्री, ईसीआरकेयू/एससी, एसटी एशोसियशन/सोनपुर मंडल–कृपया अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराने की व्यवस्था की जाये ।
3. अखिल भारतीय रेल सेवा निवृत कर्मचारी संघ, मंडल शाखा कार्यालय/सोनपुर (सारण) ।

कृते मंडल रेल प्रबन्धक (का)/सोनपुर

Scanned with CamScanner

पूर्व मध्य रेल
सोनपुर मंडल
पेंशन अदालत दिनांक–13.09.2023 हेतु अधिसूचना

अधिसूचना सं0–का/207/समापक/पेंशन अदालत–23/सोन. दिनांक–17.07.2023

आवेदन प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि–16.08.2023

पेंशन परिवादों के निष्पादन के लिए पेंशन अदालत का आयोजन दिनांक–13.09.2023 को 11:00 बजे से मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर सभा कक्ष में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवा निवृत कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपना पेंशन से संबंधित परिवाद का पूरा विवरण निम्न प्रारूप में मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेल/सोनपुर को दिनांक–16.08.2023 तक समर्पित करें।

1. आवेदक का नाम :–
2. भू0 पू0 कर्मचारी का नामः–
3. पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थलः–
4. भू0 पू0 कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध–
5. वर्तमान पताः–
6. सेवानिवृति की तिथिः–
7. सेवानिवृति के प्रकार (सामान्य, स्वैच्छिक/अनिवार्य):–
8. भू0 पू0 कर्मचारी की मृत्यु तिथिः–
9. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमानः–
10. सेवानिवृति के समय नियंत्रण अधिकारीः–
11. पेंशन भुगतान आदेश सं0 (पी.पी.ओ.की पूर्ण प्रति संलग्न करें)
12. बैंक/डाकघर का अद्यतन खाता की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें आई.एफ.एस.सी कोड एवं खाता संख्या अंकित हो।
13. पत्नी का आधार (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करे)–
14. पेंशनर/आश्रित का मोबाईल नं0–
15. शिकायते का विस्तृत विवरणः–

आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः–पेंशन संबंधी परिवाद यदि हो तो, उसे एक लिफाफा में उपर दिये गये प्रारूप में जिसके उपर पेंशन अदालत दिनांक–13.09.2023 लिखा हो, उपरोक्त पते पर दिनांक–16.08.2023 तक अथवा इसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए। कृपया, ध्यान दें कि वे शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं है जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितो के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तों एवं वेतन बढोतरी आदि, पेंशन अदालत के अंतर्गत विचारनीय नहीं होगी।

सेवानिवृत के उपरांत 15 वर्ष या अधिक पूरा कर चुके पेंशनर, कृपया ध्यान दें:–

सेवानिवृति रेल कर्मचारी कम्यूटेशन (पेंशन संराशीकरण) की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने पर पेंशन (वर्तमान पेंशन+संराशीकरण) के भुगतान हेतु पेंशन वितरक पदाधिकारी (अर्थात बैंक/डाकघर आदि) से सीधे सम्पर्क करें।

सहायक कार्मिक अधिकारी–I
पूर्व मध्य रेल, सोनपुर

Scanned with CamScanner